प्रेस नोट 23／06／2025

192 पेटी पंजाब निर्मित अबैध बीयर के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23-06-2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस व आबकारी मऊ की संयुक्त टीम द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर बाबा बैजनाथ पेट्रोल पम्प आजमगढ़ रोड रामपुर धनौली के पीछे बने कमरे से 192 पेटी अबैध बीयर पंजाब निर्मित (थन्डर बोल्ट ब्रांड 500 मिली 66 पेटी, टूबर्ग प्रीमियम स्ट्रांग 500 मिली 126 पेटी) अवैध शराब के साथ पंकज तिवारी पुत्र जय प्रकाश तिवारी निवासी बुढावर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथी राहुल राय व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पंजाब निर्मित अबैध बीयर खरीदकर बिहार में बेचने के लिए ले जाते है इस संम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 94/2025 धारा 318(2)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 60(1)/63 आबकारी अधि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 94/2025 धारा 318(2)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 60(1)/63 आबकारी अधि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त पंकज तिवारी पुत्र जय प्रकाश तिवारी निवासी बुढावर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

192 पेटी अबैध बीयर पंजाब निर्मित (थन्डर बोल्ट ब्रांड 500 मिली 66 पेटी, टूबर्ग प्रीमियम स्ट्रांग 500 मिली 126 पेटी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

मो0 अदनान खान (आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 02 घोसी मऊ)

श्री विमलेश कुमार यादव (आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 01 सदर मऊ)

श्रीमती नेहा यादव (आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 04 मधुबन मऊ)

उ0नि0 अमरनाथ त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

का0 आदर्श मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

का0 मनोज कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

हे.का. आबकारी श्रीराम शर्मा

का. आबकारी ललई यादव

का. आबकारी जितेन्द्र यादव

का. आबकारी जितेन्द्र सरोज